

**बिहार सरकार,
कृषि विभाग।**

पत्र संख्या— रा०कृ०वि०यो०को०—32/2018—

2099

/कृ०, पटना, दिनांक 27/5/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि 351.85 लाख रुपये (तीन करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि 71.95 लाख रुपये (इकहतर लाख पचानवे हजार रुपये) कुल 423.80 लाख रुपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रुपये) {केन्द्रांश 254.28 लाख रुपये (दो करोड़ चौवन लाख अट्ठाईस हजार रुपये) एवं राज्यांश 169.52 लाख रुपये (एक करोड़ उनहतर लाख बावन हजार रुपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश — स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-4047 दिनांक-29.11.2018 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि 351.85 लाख रुपये (तीन करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि 71.95 लाख रुपये (इकहतर लाख पचानवे हजार रुपये) कुल 423.80 लाख रुपये (चार करोड़ तेईस लाख अस्सी हजार रुपये) {केन्द्रांश 254.28 लाख रुपये (दो करोड़ चौवन लाख अट्ठाईस हजार रुपये) एवं राज्यांश 169.52 लाख रुपये (एक करोड़ उनहतर लाख बावन हजार रुपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या-4047 दिनांक-29.11.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु कुल 351.85 लाख रुपये (तीन करोड़ इक्यावन लाख पचासी हजार रुपये) {केन्द्रांश 211.11 लाख रुपये (दो करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार रुपये) एवं राज्यांश 140.74 लाख रुपये (एक करोड़ चालीस लाख चौहत्तर हजार रुपये)} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अपरिहार्य कारणवश उक्त राशि की निकासी नहीं की जा सकी। भारत सरकार के पत्रांक 7-3/2019-आर.के.वी.वाई. दिनांक-15.04.2019 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की अव्यवहृत अवशेष राशि को उन्ही कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु पुनर्विधायित किया गया है। उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि का अनुसूची-2 के अनुसार आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

3. भारत सरकार के पत्रांक-7-1/2019-RKVY दिनांक-22.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 129.00 करोड़ रु० (सामान्य 87.63 करोड़ रु०, अनुसूचित जाति 38.04 करोड़ रु० एवं अनुसूचित जनजाति 3.32 करोड़ रु०) उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-2139 दिनांक-24.04.2019 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में कुल 52.30 करोड़ रु० (सामान्य 35.53 करोड़ रु०, अनुसूचित जाति 15.42 करोड़ रु० एवं अनुसूचित जनजाति 1.35 करोड़ रु०) कर्णांकित किया गया है। उक्त कर्णांकन के आलोक में भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि का अनुसूची-3 के अनुसार आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए द्वितीय किस्त की स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्यक्रम	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)		
		2018-19	2019-20	कुल
1.	कतरनी चावल का विकास	305.90	67.90	373.80
2.	पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग	45.95	4.05	50.00
	कुल	351.85	71.95	423.80

5. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों का प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की घटकवार/मदवार कुल वित्तीय लक्ष्य विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

6. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों का वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम किस्त की घटकवार/मदवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।

7. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के कार्यक्रमों का द्वितीय किस्त की घटकवार/मदवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी अनुसूची-3 के रूप में संलग्न है।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 20.08.2018 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. अनुसूची-2 एवं 3 के अनुसार स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा संबंधित कोषागार से कर नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकित लेखा विवरणी प्रस्तुत किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-
(राशि लाख रु० में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0216- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0216-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	12122.15	171.48685
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्र कोड -01-2401007890203, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0203-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	2336.80	76.10606
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड -01-2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0231-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	146.05	6.68709
	योग	14605.00	254.28
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0316-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड-01-2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0316-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	7598.65	114.32456

(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0303-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	1464.80	50.73737
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1, उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145, विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान-0331-31-06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	91.55	4.45807
	योग	9155.00	169.52
	सकल योग	23760.00	423.80

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-32/2018 के पृ०सं०-19/टि. पर दिनांक-12.06.2019 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि० यो०को०-32/2018 के पृ०सं०-20/टि. पर दिनांक-14.06.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-109 दिनांक-13.06.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

D. D. Indoo

24.6.19

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 2099

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/क०, पटना दिनांक 27/6/2019

D. D. Indoo

24.6.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2099

/क०,

पटना, दिनांक 27/6/2019

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. D. Indoo

24.6.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2099

/क०,

पटना, दिनांक 27/6/2019

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. D. Indoo

24.6.19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2099

/क०,

पटना, दिनांक 27/6/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, E-com Dash Board, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

 



24.8.18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची - 1

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की घटकवार/मदवार कुल वित्तीय लक्ष्य विवरणी

राशि लाख रु० में।

क्र० सं०	कार्यक्रम	सामान्य जाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			कुल वित्तीय		
		वित्तीय			वित्तीय			वित्तीय					
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	कतरनी चावल का विकास	151.27051	100.84701	252.11752	67.11294	44.74195	111.85489	5.89655	3.93104	9.82759	224.28000	149.52000	373.80000
2	पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग	20.21634	13.47755	33.69389	8.99312	5.99542	14.98854	0.79054	0.52703	1.31757	30.00000	20.00000	50.00000
	कुल	171.48685	114.32456	285.81141	76.10606	50.73737	126.84343	6.68709	4.45807	11.14516	254.28000	169.52000	423.80000

 

अनुसूची - 2

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम किस्त की घटकवार/भदवार वित्तीय लक्ष्य विवरण

राशि लाख रु० में

क्र० सं०	कार्यक्रम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सामान्य जाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			कुल वित्तीय		
			वित्तीय			वित्तीय			वित्तीय					
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कतरनी चावल का विकास	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	123.59583	82.39722	205.99305	55.09871	36.73247	91.83118	4.84546	3.23031	8.07577	183.54000	122.36000	305.90000
2	पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	18.56564	12.37709	30.94273	8.27651	5.51768	13.79419	0.72785	0.48523	1.21308	27.57000	18.38000	45.95000
	कुल		142.16147	94.77431	236.93578	63.37522	42.25015	105.62537	5.57331	3.71554	9.28885	211.11000	140.74000	351.85000

अनुसूची - 3

वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्वितीय किस्त की घटकवार/मदवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी

राशि लाख रु० में।

क्र० सं०	कार्यक्रम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सामान्य जाति			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जाति			कुल वित्तीय		
			वित्तीय			वित्तीय			वित्तीय			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कतरनी चावल का विकास	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	27.67468	18.44979	46.12447	12.01423	8.00948	20.02371	1.05109	0.70073	1.75182	40.74000	27.16000	67.90000
2	पोषकतत्व युक्त विभिन्न अनाजों के उत्पाद हेतु विकास एवं मानकीकरण के लिए अवरोधक तकनीक का प्रयोग	कृषि निदेशक, बिहार, पटना	1.65070	1.10046	2.75116	0.71661	0.47774	1.19435	0.06269	0.04180	0.10449	2.43000	1.62000	4.05000
	कुल		29.32538	19.55025	48.87563	12.73084	8.48722	21.21806	1.11378	0.74253	1.85631	43.17000	28.78000	71.95000

